राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

डी. बी. विशेष अपील रिट याचिका सं. 453/2023

1. राजस्थान राज्य, अपने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।

2. आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

3. संयुक्त निदेशक (एच. आर. डी.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

----अपीलकर्ता।

बनाम

1. मनीष चौहान पुत्र श्री श्याम सिंह चौहान, आयु लगभग 36 वर्ष, गाँव पोस्ट गनियावार, तहसील चकरनगर, जिला इटावा (उत्तर प्रदेश), वर्तमान में- 52-बी, अशोक नगर, महामंदिर, जोधपुर (राज)।

2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के माध्यम से----

उत्तरदाता।

अपीलार्थी (ओं) के लिएः- श्री संदीप शाह, एएजी के साथ सुश्री अक्षिती सिंघवी।

उत्तरदाताओं के लिएः- श्री यशपाल खिलेरी और सुश्री विनीता।

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय न्यायाधीश श्री मुन्नूरी लक्ष्मण

आदेश

रिपोर्ट योग्य

09/02/2024

1. मामले की सुनवाई की गयी।

2. यह अपील विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में, 2016 का अधिनियम) और राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2018 (संक्षेप में, 2018 के नियम) के प्रावधानों के तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के लिए प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता की पात्रता से संबंधित विवाद के मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 9 जनवरी, 2023 को पारित आदेश से उत्पन्न होती है।

3. पहले प्रासंगिक तथ्यों का उल्लेख किया जाये, यह अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2023 को पारित आदेश से उत्पन्न हुई है, जो प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 (संक्षेप में, '2016 का अधिनियम) और राजस्थान विकलांग अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्ति के लिए आरक्षण का लाभ उठाने के अधिकार से संबंधित विवाद के मामले में पारित किया गया था। रिट याचिकाकर्ता ने सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई योग्यता सूची में रखा गया, जिसने विशेष रूप से सक्षम एच. आई. श्रेणी के लिए आरक्षित एकल पद के खिलाफ नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश की। हालाँकि, राज्य ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया और याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई।

4. रिट याचिकाकर्ता के इस दावे के खिलाफ कि वह विशेष रूप से सक्षम एच. आई. श्रेणी के लिए एक आरक्षित रिक्ति के खिलाफ नियुक्ति के लिए एकमात्र सफल और मेधावी उम्मीदवार होने के नाते, राज्य का रुख यह था कि यदि 2018 के नियमों के तहत आरक्षण का लाभ रिट याचिकाकर्ता को दिया जाता है, तो यह राजस्थान राज्य में

विकलांग व्यक्तियों के हित के खिलाफ होगा। यह भी तर्क दिया गया कि पी. एच. श्रेणी का आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण होने के कारण, जाति आधारित आरक्षण में लागू सिद्धांत पी. एच. श्रेणी के आरक्षण पर समान रूप से लागू होंगे।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने राज्य के निवेदन को अस्वीकार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की दलीलों को स्वीकार कर लिया और परीक्षा की योजना पर विचार करने पर, जैसा कि विज्ञापन में निहित है और 2018 के नियमों में निहित आरक्षण के संबंध में प्रावधान, यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़े कि नियमों के तहत या किसी भी कानून के किसी अन्य प्रावधान के तहत संवैधानिक योजना के तहत बहुत कम लागू होने के अभाव में, आरक्षित श्रेणी के खिलाफ नियुक्ति से इनकार केवल इस आधार पर किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता, हालांकि एक व्यक्ति आरक्षित श्रेणी से संबंधित है, दूसरे राज्य से है, संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है। इस निष्कर्ष के कारण याचिकाकर्ता को सभी काल्पनिक लाभों के साथ नियुक्ति प्रदान करने के लिए राज्य को आदेश जारी किया गया।

6. उपरोक्त आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।

7. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता केवल उन प्रस्तुतियों को दोहराएंगे जो राज्य की ओर से विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं कि आरक्षित श्रेणी के पद के खिलाफ नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के दावे को अस्वीकार करने का आधार यह है कि भले ही वह विशेष रूप से सक्षम एच. आई. श्रेणी से संबंधित व्यक्ति हो, वह दूसरे राज्य का रहने वाला व्यक्ति है और क्योंकि वह राजस्थान राज्य का अधिवास नहीं है, इसलिए इनकार किया गया है।

8. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि

2016 के अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों को देखते हुए, प्रतिवादी रिट याचिका के संबंध में या उपयुक्त सरकार उसका मूल राज्य होगी न कि राजस्थान राज्य और यही कारण है कि दूसरे राज्य से जारी किया गया उसका विकलांगता प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

9. दूसरी ओर रिट याचिकाकर्ता/प्रतिवादी के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में 2016 के अधिनियम, संविधान की योजना, लागू नियमों और विज्ञापन में निहित खंडों के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। इसलिए, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

10. हमने मामले के रिकॉर्ड, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का अध्ययन किया है और संबंधित पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।

11. इस मामले में विचार के लिए जो छोटा मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या विकलांग व्यक्ति और अन्यथा विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित पद के खिलाफ नियुक्ति के लिए विचार के लिए हकदार व्यक्ति को उस लाभ से केवल इस आधार पर वंचित किया जा सकता है कि वह किसी अन्य राज्य का मूल निवासी है न कि उस राज्य का जिसमें भर्तियां हो रही हैं।

12. विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण और अन्य लाभ विनियमित किए जाते हैं और 2016 के अधिनियम के तहत एक व्यापक योजना के तहत प्रदान किए जाते हैं। अन्य प्रावधानों के अलावा, 2016 के अधिनियम की धारा 34 निम्नानुसार बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने के लिए पदों के आरक्षण को अनिवार्य करती हैः-

"34. आरक्षण-

(1) प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में कम से कम चार प्रतिशत की नियुक्ति करेगी। मानक विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या का एक प्रतिशत। प्रत्येक खंड (ए), (बी) और (सी) और एक प्रतिशत के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा। खंड (डी) और (ई) के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए, अर्थात्ः (ए) अंधापन और कम दृष्टि; (बी) बधिर और सुनने में कठिनाई; (सी) सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सहित लोकोमोटर अक्षमता; (डी) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; (ई) खंड (ए) से (डी) के तहत व्यक्तियों में से प्रत्येक अक्षमता के लिए पहचाने गए पदों में बहरे-अंधेपन सहित कई अक्षमताएंः बशर्ते कि पदोन्नति में आरक्षण ऐसे निर्देशों के अनुसार होगा जो समय-समय पर उपयुक्त सरकार द्वारा जारी किए जाते हैंः बशर्ते कि उपयुक्त सरकार, प्रमुख के परामर्श से

(2) जहां किसी भी भर्ती वर्ष में बेंचमार्क विकलांगता वाले उपयुक्त व्यक्ति की अनुपलब्धता के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों से कोई रिक्ति नहीं भरी जा सकती है, ऐसी रिक्ति को उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाएगा और यदि उत्तरवर्ती भर्ती वर्ष में भी बेंचमार्क विकलांगता वाला उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो इसे पहले पांच श्रेणियों के बीच आदान-प्रदान द्वारा भरा जा सकता है और केवल जब उस वर्ष में पद के लिए कोई विकलांग व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करके रिक्ति को भरेगाः-

बशर्ते कि यदि किसी प्रतिष्ठान में रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि किसी दिए गए वर्ग के व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो रिक्तियों को उपयुक्त सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पांच

श्रेणियों के बीच बदला जा सकता है।

(3) उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के रोजगार के लिए ऊपरी आयु सीमा में ऐसी छूट प्रदान कर सकती है, जो वह उचित समझे।

13. उपरोक्त प्रावधान स्पष्ट रूप से कानून का आदेश देता है कि प्रत्येक उपयुक्त सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में नियुक्ति करने के लिए बाध्य है, जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में कैडर संख्या की कुल रिक्ति की संख्या के 4 प्रतिशत से कम नहीं है, जिनमें से प्रत्येक 1 प्रतिशत खंड (ए), (बी) और (सी) के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा और 1 प्रतिशत खंड (डी) और (ई) के तहत बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होगा।

14. केंद्रीय अधिनियम के तहत उपरोक्त विधायी जनादेश को प्रभावी बनाने के लिए, राजस्थान राज्य ने नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम भी बनाए हैं जिन्हें राजस्थान विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2018 के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त नियम बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के संबंध में विशेष प्रावधान करते हैं, जो निम्नानुसार हैः-

5. रिक्तियों का आरक्षण-

(1) प्रत्येक प्रतिष्ठान में संवर्ग में सीधी भर्ती की रिक्तियों का 4 प्रतिशत अधिनियम की धारा 34 के अनुसार मानक विकलांग व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा धारा 33 के तहत प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचाने गए पदों में और ऐसे आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण के रूप में माना जाएगा और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों को एक अलग वर्ग के रूप में बनाए रखा जाएगाः बशर्ते कि जहां राज्य सरकार में किसी पद का नामकरण भारत सरकार के पद से अलग है या राज्य सरकार में

कोई पद भारत सरकार के किसी विभाग में मौजूद नहीं है, वहां मामला राज्य सरकार में समकक्ष पद की पहचान के लिए नियम 6 के तहत गठित समिति को भेजा जाएगा। समिति नौकरी की प्रकृति और प्रत्येक पद की जिम्मेदारी के आधार पर समकक्ष पद की पहचान करेगी।

(2) एक या अधिक श्रेणियों के लिए चिन्हित पदों में आरक्षण- (क) यदि किसी पद की पहचान केवल एक श्रेणी की विकलांगता के लिए उपयुक्त है, तो उस पद में आरक्षण केवल उस विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। (ख) ऐसे मामलों में 4 प्रतिशत का आरक्षण कम नहीं किया जाएगा और इस पद पर कुल आरक्षण उस विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसके लिए इसकी पहचान की गई है। (ग) यदि दो श्रेणियों के विकलांगों के लिए उपयुक्त पद की पहचान की जाती है, तो जहां तक संभव हो, उन श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच आरक्षण समान रूप से वितरित किया जाएगा।

(3) रोस्टरों का रखरखाव- (क) सभी प्रतिष्ठान मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण निर्धारित करने/प्रभावी करने के लिए एक अलग 100 अंकों का रोस्टर रजिस्टर बनाए रखेंगे। (ख) रजिस्टर में 100 अंकों का चक्र होगा और 100 अंकों के प्रत्येक चक्र को चार ब्लॉकों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगेः पहला ब्लॉक-बिंदु संख्या 1 से बिंदु संख्या 25, दूसरा ब्लॉक-बिंदु संख्या 26 से बिंदु संख्या 50, तीसरा ब्लॉक-बिंदु संख्या 51 से बिंदु संख्या 75, चौथा ब्लॉक-बिंदु संख्या 76 से बिंदु संख्या 100, उपरोक्त ब्लॉक निर्धारित किया जाएगा और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किया जाएगा-खंड (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित बेंचमार्क विकलांगता की तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक अंक और धारा 34 की उप-धारा (1) के खंड (डी) और (ई) में उल्लिखित बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणियों के लिए एक अंक। (सी) सभी

रिक्तियों को संबंधित रोस्टर रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा जो प्रतिष्ठान के प्रमुख द्वारा बनाए रखा जाएगा। (डी) सभी 100 के बाद (घ) रोस्टर के सभी 100 अंकों को शामिल करने के बाद, 100 अंकों का एक नया चक्र शुरू होगा।

15. 2016 के अधिनियम और 2018 के नियमों में निहित प्रावधानों के एक संयुक्त अध्ययन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सार्वजनिक रोजगार में पद के खिलाफ नियुक्ति के मामले में, बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों को उसमें प्रदान किए गए तरीके और सीमा तक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।

16. विद्वान एकल न्यायाधीश उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि न तो 2016 के अधिनियम में और न ही 2018 के नियमों में, ऐसा कोई प्रावधान है जो बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति को आरक्षण के लाभ से इनकार करता है, जो अन्यथा योग्यता सूची में जगह पाने के लिए पर्याप्त योग्य और मेधावी है, केवल इस आधार पर कि वह राजस्थान राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य से संबंधित है या मूल निवासी है।

17. 2016 के अधिनियम की योजना के तहत सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों का अखिल भारतीय प्रभाव है और वे राज्य के चारों कोनों या उस राज्य के प्राधिकरणों के भीतर इसकी प्रयोज्यता और प्रभाव में सीमित नहीं हैं जिसमें प्रमाण पत्र जारी किया गया था। यह 2016 के अधिनियम की धारा 58 के प्रावधानों को पढ़ने से स्पष्ट होता है, जो नीचे दिया गया हैः -

"58. प्रमाणीकरण के लिए प्रक्रिया-(1) कोई भी विनिर्दिष्ट अक्षमता वाला व्यक्ति, अक्षमता का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से, अधिकार क्षेत्र वाले प्रमाणन प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। (2) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणन प्राधिकरण धारा 56 के तहत

अधिसूचित प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित व्यक्ति की अक्षमता का आकलन करेगा, और ऐसे मूल्यांकन के बाद, जैसा भी मामला हो,-(ए) ऐसे व्यक्ति को अक्षमता का प्रमाण पत्र, ऐसे प्रपत्र में जारी करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए; (बी) उसे लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसकी कोई निर्दिष्ट अक्षमता नहीं है। (3) इस धारा के तहत जारी विकलांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा।

18. 2016 के अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (3) यह स्पष्ट करती है कि उक्त प्रावधान के तहत जारी किया गया विकलांगता प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा।

19. इसका मतलब है कि जहां भी प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, विशेष श्रेणी में मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति के मामले में मानक विकलांग व्यक्ति के लिए सार्वजनिक रोजगार के मामले में प्रमाण पत्र लागू होता है। इस प्रकार, केंद्र सरकार और संबंधित सरकारों द्वारा 2016 के अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किए गए विकलांगता प्रमाण पत्र को पूरे देश में मान्यता दी जानी चाहिए और पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए। नतीजतन, कोई भी व्यक्ति जो आरक्षित विशेष रूप से सक्षम श्रेणी से संबंधित है और जिसके पास कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके पक्ष में जारी एक वैध प्रमाण पत्र है, वह देश भर में सार्वजनिक रोजगार के मामले में मान्यता प्राप्त करने का हकदार है और इसके अभाव में कोई संवैधानिक बाधा होने पर, विशेष रूप से विकलांग श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में उसकी स्थिति से इनकार केवल इस आधार पर किया जाता है कि वह किसी अन्य राज्य का मूल निवासी है और 2016 के अधिनियम की योजना से वंचित है और वर्तमान मामले में, 2018 के नियम राजस्थान राज्य में लागू और लागू हैं।

20. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता का यह निवेदन कि 2016 के अधिनियम की धारा 57 की योजना के तहत, उपयुक्त सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किए जाने की आवश्यकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि धारा 57 के प्रावधान किसी भी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध रूप से जारी किए गए विकलांग प्रमाण पत्र को अखिल भारतीय प्रभाव देने में बाधा नहीं हैं। वर्तमान में ऐसा मामला नहीं है, जहां तथ्यों के आधार पर, आरक्षण के लाभ से इनकार करना विकलांगता प्रमाण पत्र की अस्वीकृति पर आधारित है। यह अपीलार्थी का मामला नहीं है कि अक्षमता का प्रमाण पत्र वैध नहीं है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता को लाभ देने से इनकार करने के पीछे एकमात्र कारण यह प्रतीत होता है कि वह दूसरे राज्य का मूल निवासी है और इसलिए राजस्थान राज्य में बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद के खिलाफ नियुक्ति की मांग के मामले में विशेष रूप से सक्षम श्रेणी के लिए आरक्षण का लाभ उसे उपलब्ध नहीं होगा।

21. संविधान के अनुच्छेद 16(2) के प्रावधानों के मद्देनजर ऐसा भेदभाव संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य है, जो निवास स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ आदेश देता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो हमारे संज्ञान में लाया गया है जो यह प्रदान करता है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी भी कानून की योजना या केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी भी नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी भी नियम में किसी भी योजना के लिए प्रावधान किया गया है, जिसके तहत कोई व्यक्ति अन्यथा बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित पद के खिलाफ नियुक्त होने के लिए पात्र है, जो केवल राजस्थान राज्य के निवासियों तक ही सीमित होगा। इस प्रकार, अधिवास नियम को शून्य में लागू नहीं किया जा सकता है ताकि आरक्षण के लाभ को केवल इस आधार पर अस्वीकार

किया जा सके कि आवेदक किसी अन्य राज्य का निवासी है।

22. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने सही कहा है कि विज्ञापन के खंड (8) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र स्वीकार्य होगा। उपरोक्त निर्देश 2016 के अधिनियम की धारा 58(3) के तहत निहित वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप है।

23. उपरोक्त विचार और विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता को विशेष रूप से सक्षम एच. आई. श्रेणी के लिए आरक्षित पद के खिलाफ आरक्षण के लाभ से केवल इस आधार पर इनकार करना कि वह यू. पी. राज्य का मूल निवासी है, असंवैधानिक और अवैध है। इसलिए, विद्वान एकल द्वारा लिया गया दृष्टिकोण किसी भी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखता है।

24. राज्य द्वारा दायर अपील को तदनुसार प्रतिवादी-रिट याचिकाकर्ता को देय रुपये 10,000/- की लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है।

(मुनुरी लक्ष्मण), जे. (मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), सी. जे.

अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।